

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक 3362/री -2/भू. अ./2016
प्रति.

खण्डवा, दिनांक- 08/12/2016

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय- "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-11 प्रारंभिक अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन होने बाबत। प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/16-17 ग्राम सहेजला तहसील खण्डवा

—00—

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-11 प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 में होना है। कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित धारा-11 प्रारंभिक अधिसूचना की तीन प्रतियां आपकी ओर भेजी जा रही है। कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र में शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।



अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

खण्डवा दिनांक- 08/12/2016

पृ.क्रमांक 3363/री -2/भू. अ./2015
प्रतिलिपि-

1. कार्यपालन अभियंता सिविल संभाग एक श्री सिंगाजी ताप विद्यतु परियोजना दोंगालिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु धारा-11 प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
 2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित धारा-11 प्रारंभिक अधिसूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
 3. तहसीलदार खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि, एक-एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणीकरण के 8 दिवस में वापिस भिजवाने की व्यवस्था करे।
1. कलेक्टर कार्यालय नोटीस बोर्ड
 2. एस. डी. ओ. कार्यालय खण्डवा नोटीस बोर्ड
 3. तहसील कार्यालय खण्डवा नोटीस बोर्ड
 4. ग्राम पंचायत नोटीस बोर्ड
 5. ग्राम सहेजला की चौपाल पर

अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं. /135/2015/एल. ए.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-10/अ-82/2016-17

खण्डवा, दिनांक 07-12-2016

// प्रारंभिक अधिसूचना //

(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन मे उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 11 (1))

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन मे उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 11 (1) उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

// अनुसूची //

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
01	02	03	04	05	06
खण्डवा	खण्डवा	सहेजला	0.03 हे०	कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग- एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया जिला खण्डवा.	सुरगांवबंजारी से बीड़ तक रेलमार्ग के निर्माण हेतु

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/ कार्यपालन अभियंता श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(स्वाती मीणा नायक)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला खण्डवा